भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2013-14/ 9
मास्टर परिपत्र सं. 9/2013-14 1 जुलाई 2013
(22 अक्तूबर 2013 तक अद्यतन)

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक

महोदया /महोदय,

मास्टर परिपत्र – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउंडिंग

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउडिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके जरिये आवेदक फेमा, 1999 की धारा 13 (1) के तहत फेमा, 1999 के किसी प्रावधान के स्वीकृत उल्लंघन की कंपांउडिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

2. यह मास्टर परिपत्र **"फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउंडिंग"** विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिये (सनसेट खंड के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 1 जुलाई 2014 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

1. सामान्य
2. कंपाउंडिंग अधिकार
3. अधिकारों का प्रत्यायोजन
4. कंपाउंडिंग की प्रक्रिया
5. कंपाउंडिंग की व्याप्ति और पद्धति
6. कंपाउंडिंग आदेश जारी करना
7. कंपाउंडिंग के बाद की कार्यवाही
8. कंपाउंडिंग के लिए पूर्वापेक्षा

संलग्नक

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग नियमावली), 2000

आवेदनपत्र का फार्मेट

परिशिष्ट

समेकित नियमों/ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्रों की सूची

1. सामान्य

1.1 फेमा, 1999 के अध्याय IV, धारा 13 (1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फेमा, 1999 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा इस नियम के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन करता है अथवा ऐसी किसी शर्त, जिसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है, का उल्लंघन करता है तो वह न्याय निर्णयन पर, जहाँ राशि परिमाणनीय अथवा दो लाख रूपयों तक है, ऐसे उल्लंघन में निहित राशि की तिगुनी राशि तक दण्ड के लिए दायी होगा। जहाँ राशि परिमाणनीय नहीं है तथा उल्लंघन करना लगातार जारी है तो आगे का दण्ड जो उल्लंघन जारी रहने के दौरान पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है। फेमा, 1999 की धारा 15 के प्रावधान उल्लंघनों की कंपाउंडिंग करने की अनुमति देते हैं तथा इस प्रकार के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पत्र पर अधिनियम की धारा 13 के तहत यथा परिभाषित किसी उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए कंपाउंडिंग प्राधिकारी को अधिकार देते हैं। न्याय निर्णयन प्रोसिडिंग्ज प्रारंभ करने से एक तो पहले अथवा बाद में विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के नियम 4 के तहत ऐसे उल्लघंनों में निहित राशि के अनुसार उल्लंघनों की कंपाउंडिंग करने के अधिकार कंपाउंडिंग अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट किए गए हैं और यदि उल्लंघन में निहित राशि अपरिमाणनीय होगी तो उल्लंघन की कंपाउंडिंग नहीं हो सकेगी।

1.2 भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करते हुए मामलों की कंपाउंडिंग के प्रशासन का दायित्व फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) को छोड़कर रिज़र्व बैंक को सौंपा है। तदनुसार, लेनदेनों की लागत को कम करके नागरिकों और कंपनी समुदायों को सुविधा प्रदान करने एवं जान बूझकर किए गए, कपटपूर्ण और छलपूर्ण लेनदेनों के संबंध में कड़ा रुख अपनाने की दृष्टि से फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों को कंपाउंड करने के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकार देने हेतु भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 बनायी गयी है ।

2. कंपाउंडिंग अधिकार

2.1 रिज़र्व बैंक तथा प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) के कंपाउंडिंग अधिकार क्रमश: निम्नानुसार हैं :

(ए) रिज़र्व बैंक को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ए) को छोड़कर, फेमा, 1999 की सभी धाराओं के उल्लंघनों को कंपाउंड करने के लिए अधिकार दिये गये हैं।

(बी) प्रवर्तन निदेशालय फेमा, 1999 की धारा 3 के खण्ड (ए) के तहत कंपाउंडिंग के अधिकारों का प्रयोग करेगा (तत्वत: हवाला लेनदेनों के संबंध में)।

2.2 फेमा, 1999 के तहत कंपाउंडिंग प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए प्रक्रिया तैयार की है। कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा एक बार उल्लंघन की कंपाउंडिंग होने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध, जैसी भी स्थिति हो, कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी अथवा कार्यवाही जारी नहीं रहेगी।

3. अधिकारों का प्रत्यायोजन

3.1. ग्राहक सेवा के उपाय के रूप में और परिचालनगत सुविधा को सुकरता प्रदान करने की दृष्टि से फेमा के तहत (i) आवक विप्रेषणों की रिपोर्टिंग में विलंब, (ii) शेयरों के आबंटन के बाद फार्म एफसी-जीपीआर दाखिल करने में विलंब और (iii) शेयरों को जारी करने में 180 दिनों से अधिक विलंब के उल्लंघनों की कंपाउंडिंग करने (अर्थात 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के जरिये अधिसूचित और समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची । के पैराग्राफ क्रमश: 9(1)(ए), 9(1)(बी) तथा 8) के लिए नीचे दर्शाये गये अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकार प्रत्यायोजित किये गए हैं:

ए) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची । का पैराग्राफ 9(1) (ए), 9(1) (बी) –

केवल एक सौ लाख रुपये (रु.1,00,00,000/-) से कम की राशि के उल्लंघन के लिए भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोची, पटना और पणजी ।

बी) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची । का पैराग्राफ 9(1) (ए), 9(1) (बी) और 8 –

उल्लंघन की राशि की बिना किसी सीमा के मामले अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई तथा नयी दिल्ली ।

4. कंपाउंडिंग प्रक्रिया

4.1 फेमा, 1999 के तहत ज्ञापन पत्र के जरिये उल्लंघन सूचित किये जाने पर अथवा उल्लंघन किया गया है अथवा ज्ञात हुआ, यह अपने आप मालूम होने पर फेमा, 1999 के तहत उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र कंपाउंडिंग प्राधिकारी (सीए) को प्रस्तुत किया जाए। आवेदन पत्र का फॉर्मेट विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के साथ अनुलग्न किया गया है (संलग्नक -।)।

4.2 आवेदक निर्धारित फार्मेट में आवेदन पत्र के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय, यथा लागू, के ब्योरे भी संलग्नक (संलग्नक-

।।) के अनुसार प्रस्तुत करें और उसके साथ इस आशय का एक वचनपत्र भी संलग्न करें कि उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है, साथ ही उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करते समय संस्था के बहिर्नियम और अद्यतन लेखा-परिक्षित तुलन पत्र की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करें ताकि कंपाउंडिंग की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट समय में पूरी हो सके।

4.3 उपर्युक्त पैरा 3.1 (ए) और (बी) में उल्लिखित उल्लंघनों के संबंध में तथा उनमें दर्शायी गयी उल्लंघन की राशि तक कंपाउंडिंग के लिए, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की सूचना पर अथवा स्वयंप्रेरित रूप से, सभी आवेदन पत्र ऐसी कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा निर्धारित रु.5000/- के शुल्क, जो "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में देय हो, के साथ सीधे उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं जिनके अधिकार क्षेत्र में वे आती हैं/आते हैं। सभी अन्य प्रकार के उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के आवेदन पत्र निर्धारित रु. 5000/- के शुल्क, जो "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं मुंबई में देय हो, के साथ कंपाउंडिंग प्राधिकारी, फेमा के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी कक्ष (सेफा), विदेशी मुद्रा विभाग, 5 वीं मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001 को प्रस्तुत किये जाएं।

4.4 कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, कार्यवाही पूरी की जाएगी और कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर कंपाउंडिंग आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए समय सीमा कंपाउंडिंग के लिए पूर्ण किये गये आवेदन पत्र की रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्ति की तारीख से गिनी जाएगी।

4.5 कंपाउंडिंग प्राधिकारी कंपाउंडिंग प्रक्रिया से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी, रिकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों की माँग कर सकते हैं। इस प्रकार की अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और यदि अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज विनिर्दिष्ट की गयी अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

4.6 विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के नियम (4) के उप नियम (1) के अनुसार दस्तावेजों तथा आवेदन पत्र में किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी और निर्धारित किया जाएगा कि उल्लंघन परिमाणनीय है अथवा नहीं, और यदि है तो उल्लंघन की राशि तदनुसार तय की जाएगी।

4.7 निम्नलिखित निदर्शी मदों के साथ-साथ अन्य बातें ध्यान में रखते हुए उल्लंघन के स्वरूप की जाँच की जाती है:

ए. क्या उल्लंघन तकनीकी है और/अथवा छोटे स्वरूप का है तथा क्या केवल प्रशासनिक सतर्कता संबंधी सूचना की आवश्यकता है;

बी. क्या उल्लंघन गंभीर स्वरूप का है तथा उल्लंघन की कंपाउंडिंग न्यायसंगत है; और

सी. क्या उल्लंघन में, प्रथम दृष्ट्या, धन-शोधन, विनियामक ढांचे के गंभीर अतिक्रमण वाले राष्ट्रीय तथा सुरक्षा संबंधी मामले शामिल हैं।

तथापि, रिज़र्व बैंक उल्लिखित उल्लंघनों को वर्गीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उल्लंघनकर्ता अथवा किसी अन्य को स्वत: तकनीकी आधार पर उल्लंघनों को वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं होगा।

4.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपाउंडिंग के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र में उल्लंघन का संदर्भ प्राप्त होने से इतर जब भी रिज़र्व बैंक द्वारा उल्लंघन की पहचान की जाती है या किसी कंपनी (एंटिटी) द्वारा उल्लंघन में शामिल होने की बात बैंक की नोटिस में लायी जाती है, तो बैंक यह निश्चित करना जारी रखेगा कि (i) क्या उल्लंघन तकनीकी और/या हल्के स्वरूप का है और इसलिए तत्संबंध में प्रशासनिक/सचेतक सूचना जारी करने के मार्फत उस पर कार्रवाई की जा सकती है, (ii) क्या उल्लंघन मटीरियल स्वरूप का है और इसलिए उसकी कंपाउंडिंग करना आवश्यक है जिसके लिए पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए या (iii) क्या उसमें शामिल मुद्दे संवेदनशील/गंभीर स्वरूप के हैं और इसलिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित करने की जरूरत है। तथापि, एक बार संबंधित कंपनी द्वारा स्वयं कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करने एवं उसके उल्लंघन स्वीकार करने पर, उसके 'तकनीकी' या 'मटीरियल' स्वरूप पर विचार नहीं किया जाएगा और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 15 (1) के साथ पठित विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के नियम 9 के अनुसार कंपाउंडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।

4.9 जिस संबंध में उल्लंघन किया गया है उस संबंध में फेमा,1999 के प्रावधान अथवा फेमा,1999 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश विनिर्दिष्ट करते हुए कंपाउंडिंग आवेदनपत्र का निपटान कंपाउंडिंग आदेश जारी करते हुए किया जाता है।

4.10 जहाँ अधिक जाँच करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक, जैसा भी उचित समझे, मामले को फेमा, 1999 के अधीन और अधिक जाँच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) को अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित धन शोधन निवारण प्राधिकारी को अथवा किसी अन्य एजेंसी, जो भी उचित हो, को भेज सकता है। ऐसे आवेदन पत्रों का निपटान आवेदक को आवेदन पत्र वापस करते हुए किया जाएगा।

5. कंपाउंडिंग की व्याप्ति और पद्धति

5.1 कंपाउंडिंग प्राधिकारी (सीए) फेमा, 1999 के प्रावधानों अथवा फेमा, 1999 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश के संबंध में स्वीकार किये गये कथित उल्लंघनों के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

5.2 अभिलेखों और प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के बाद, मामले की गुणवत्ता तथा कंपाउंडिंग प्राधिकारी (सीए) के पूर्ण विवेक के तहत कंपाउंडिंग संबंधी आवेदन पत्र का निपटान किया जाएगा। निम्नलिखित घटक, जो केवल निदर्शी हैं, कंपाउंडिंग आदेश पारित करने के प्रयोजन और उल्लंघन की राशि के निर्धारण, जिसके बाबत भुगतान किए जाने पर, कंपाउंडिंग की जानी है, के लिए विचारार्थ लिये जाएंगे:

(i) अनुचित लाभ गत प्राप्त राशि, उल्लंघन के परिणामस्वरूप जहां भी परिमाणनीय;
(ii) उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी प्राधिकारी/एजेंसी/राजकोष को हुई हानि की राशि;
(iii) विलंबित अनुपालन अथवा टाले गये अनुपालन से उल्लंघनकर्ता को उपचित आर्थिक लाभ;
(iv) उल्लंघन का पुनरावर्तीय स्वरूप, उल्लंघनकर्ता के गैर-अनुपालन का ट्रैक रिकार्ड और/ अथवा इतिहास;
(v) उल्लंघनकर्ता का लेनदेन करते समय आचरण तथा आवेदन पत्र में और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान प्रस्तुतीकरण में पूरे तथ्यों का प्रकटीकरण;
(vi) कोई अन्य घटक जो उससे संबंधित तथा यथोचित हो।

6. कंपाउंडिंग आदेश जारी करना

6.1 आवेदक को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन पत्र के समर्थन में वैयक्तिक रूप से आगे और अधिक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए वैयक्तिक सुनवाई हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि उल्लंघनकर्ता अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि वैयक्तिक सुनवाई हेतु कंपाउंडिंग प्राधिकारी (सीए) के समक्ष वैयक्तिक रूप से उपस्थित न रहने तथा प्रस्तुतीकरण न करने का विकल्प चुनता है तो कंपाउंडिंग प्राधिकारी (सीए) कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध जानकारी तथा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर कंपाउंडिंग आवेदन पत्र पर कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

6.1.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपाउडिंग प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होना स्वैच्छिक है और आवेदक इसमें उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। आवेदक 28 जून 2010 तथा 13 दिसंबर 2011 के क्रमश: ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 56 और 57 में यथाविनिर्दिष्ट मामले से संबंधित पूरी जानकारी आवेदन के साथ अनुलग्न करें और उसके बाद स्व-विवेकानुसार सुनवाई में स्वयं उपस्थित होने/न होने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आवेदक व्यक्तिगत सुनवाई के विकल्प का चयन करता है तो रिज़र्व बैंक कानूनी विशेषज्ञों / सलाहकारों द्वारा प्रतिनिधित्व करने/को साथ लाने के

बजाय आवेदक द्वारा इसके लिए सीधे (स्वयं) आने को प्रोत्साहित करेगा क्योंकि कंपाउडिंग केवल स्वीकार किए गए उल्लंघनों के लिए होती है (18 जनवरी 2013 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2012-13/1215 द्वारा यथासंशोधित)।

6.2 कंपाउंडिंग प्राधिकारी (सीए) आवेदन पत्र में किये गये प्रकथन तथा वैयक्तिक सुनवाई के दौरान उल्लंघनकर्ता द्वारा इस संबंध में किये गये प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो, के आधार पर कंपाउंडिंग आदेश पारित करेगा।

6.3 जहाँ फेमा, 1999 की धारा 16 की उप धारा (3) के अधीन शिकायत किये जाने के बाद, जैसी भी स्थिति हो, विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन जारी किये गये कंपाउंडिंग आदेश की एक प्रति आवेदक (उल्लंघनकर्ता) को तथा न्यायनिर्णय प्राधिकारी को भी दी जाएगी।

7. कंपाउंडिंग के बाद की क्रियाविधि

7.1 विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन कंपाउंडिंग के आदेश में यथाविनिर्दिष्ट कंपाउंडिंग की गयी उल्लंघन की राशि का भुगतान, इस प्रकार के उल्लंघन के कंपाउंडिंग के आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में मांग ड्राफ्ट के रूप में देय है। कंपाउंडिंग आदेश में निदेशित किये गये अनुसार मांग ड्राफ्ट जमा करना होगा।

7.2 कंपाउंडेड उल्लंघन की राशि के माँग ड्राफ्ट की वसूली पर रिज़र्व बैंक द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन इस संबंध में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

7.3 कंपाउंडिंग आदेश पारित किये जाने के बाद आदेश हटाने के लिए अथवा कंपाउंडिंग आदेश अवैध मानने के लिए अथवा कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए नियमावली के प्रावधान उल्लंघनकर्ता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

7.4 कंपाउंडिंग आदेश में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर कंपाउंडेड राशि का भुगतान करने में चूक जाने पर विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 के नियम 10 के अनुसार यह समझा जाएगा कि उल्लंघनकर्ता ने इस नियमावली के अधीन किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया था।

7.5 फेमा, 1999 के उल्लंघन (फेमा, 1999 की धारा 13 में यथा परिभाषित) के संबंध में, जो कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा कंपाउंडेड नहीं है, प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ सहित उल्लंघनों के संबंध में फेमा, 1999 के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

8. कंपाउंडिंग प्रक्रिया के लिए पूर्वापेक्षा

8.1 किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उल्लंघन जो कंपाउंडिंग नियमावली के अधीन जिस तारीख को कंपाउंडेड हुआ था, उसी प्रकार का उल्लंघन उस तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर कंपाउंड नहीं किया जाएगा। ऐसे उल्लंघन का समाधान फेमा, 1999 के संबंधित प्रावधान के अधीन किया जाएगा। पूर्व में कंपाउंडेड उल्लंघन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद किये गये किसी दूसरे अथवा अनुवर्ती उल्लंघन को पहला उल्लंघन समझा जाएगा।

8.2 किसी लेन-देन से संबंधित उल्लंघन, जिसमें सरकार अथवा संबंधित कोई सांविधिक प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, से उचित अनुमोदन अथवा अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, ऐसे उल्लंघन संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किये बिना कंपाउंडेड नहीं किये जाएंगे।

यदि इस या किसी अन्य कारण से आवेदनपत्र लौटाना पड़े, तो आवेदनपत्र के साथ प्राप्त रुपये 5000/- की फीस भी उसके साथ लौटानी होती है। ऐसे मामलों में कंपाउंडिंग फीस शीघ्र वापस करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उसे एनईएफटी (NEFT) के द्वारा आवेदक के खाते में जमा कर दिया जाए। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्नक III में मैन्डेट तथा अपने बैंक खाते का ब्योरा, 28 जून 2010 और 13 दिसंबर 2011 के क्रमशः ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.56 और 57 में निहित अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट फार्म में आवेदन पत्र एवं अपेक्षित अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करें।

8.3 धन शोधन के दृष्टिकोण, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले और / अथवा विनियामक ढांचे के गंभीर अतिक्रमण जैसे उल्लंघन के मामले अथवा ऐसे मामले जहां उल्लंघनकर्ता जिस उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग आदेश के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कंपाउंड राशि अदा करने में चूक गया है, फेमा, 1999 के अधीन आगे की जाँच और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन के लिए स्थापित प्राधिकारी को अथवा किसी अन्य एजेंसी, जो भी उचित हो, को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किये जाएंगे।

8.4 जब कभी उल्लंघन ध्यान में आते हैं तब रिज़र्व बैंक सामान्यत: कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को उनकी पसंद तथा विकल्प के बारे में सूचित करता है। यदि रिज़र्व बैंक द्वारा दर्शायी गयी समय सीमा के भीतर कंपाउंडिंग के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो ऐसे उल्लंघन के तथ्य आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में लाये जाएंगे।

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें कि विदेशी मुद्रा लेनदेनों की रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने से संबंधित प्रणाली में जांच-पड़ताल (checks and balances) समाविष्ट हों ताकि प्राधिकृत व्यापारियों की भूल-चूक के कारण फेमा, 1999 के उपबंधों का उल्लंघन न हो। फेमा, 1999 की धारा 11(3) के अनुसार, रिज़र्व बैंक इस अधिनियम के तहत, रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निर्देश के उल्लंघन के लिए अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किसी विवरणी को फाइल करने में असफल होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति पर दंड लगा सकता है (17 जनवरी 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 76 द्वारा यथा संशोधित)।

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000

2 नवंबर 2002 की जी.एस.आर.443(ई)
13 सितंबर 2004 की जी.एस.आर.609(ई)
27 अगस्त 2008 की जी.एस.आर.613(ई)
के जरिये यथा संशोधित

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 383(ई)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 15 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय IV के तहत उल्लंघनों के कंपाउंडिंग से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् -

1. संक्षित नाम और प्रारंभ -

(1) ये नियम विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियमावली, 2000 कहलायेंगे।

(2) ये 1 जून 2000 को लागू होंगे।

2. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो -

(ए) "अधिनियम" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है;

(बी) "प्राधिकृत अधिकारी" का अर्थ नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत प्राधिकृत कोई अधिकारी है;

(सी) "आवेदक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कंपाउंडिंग प्रधिकारी को अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन आवेदन करता है

(डी) "कंपाउंडिंग आदेश" का अर्थ अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन जारी कोई आदेश है;

(ई) "फार्म" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न फार्म है;

(एफ) "धारा" का अर्थ अधिनियम की किसी धारा से है;

(जी) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ अधिनियम में उनके अपने-अपने लिए निर्धारित किए गए अर्थ होंगे।

3. (1) "कंपाउंडिंग प्राधिकारी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है अर्थात्:

(ए) प्रवर्तन निदेशालय का कोई अधिकारी जो कम से कम उप-निदेशक अथवा उप-विधि परामर्शदाता की श्रेणी का है।

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी, जो कम-से-कम सहायक महाप्रबंधक की श्रेणी का है।

4. उल्लंघनों को कंपाउंड करने के लिए रिज़र्व बैंक के अधिकार

[1][(1) *यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम*, 1999 (1999 *का* 42) *की धारा* 3 *के खण्ड* (ए) *को छोड़कर अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है]*

(ए) दस लाख रुपये अथवा उससे कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक द्वारा;

(बी) दस लाख रुपये से अधिक किन्तु चालीस लाख रुपये से कम के उल्लंघनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक द्वारा;

(सी) चालीस लाख रुपये से अधिक किन्तु सौ लाख रुपये से कम के उल्लंघनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक द्वारा;

(डी) एक सौ लाख रुपये अथवा उससे अधिक के उल्लंघनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा;

बशर्ते आगे ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि का परिमाण निर्धारित होने तक किसी भी उल्लंघन की कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) में दी गई कोई भी बात उस उल्लंघन पर लागू नहीं होंगी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस दिनांक से तीन वर्ष के अंदर किया गया है और उस दिनांक को उसके द्वारा किए गए समान उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग की गई थी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए पूर्व में किए गए उल्लंघन की कंपाउंडिंग की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए किसी दूसरे या बाद के उल्लंघन को पहला उल्लंघन समझा जाएगा।

(3) नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रत्येक अधिकारी किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के अधिकार का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के निदेश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अधीन करेगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग का प्रत्येक आवेदन, फार्म में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के पक्ष में 5000/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के शुल्क के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को किया जाए।

5. उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार

[2] [(1) *यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा* 3(*क*) *के प्रावधानों का उल्लंघन करता है]*

(ए) पांच लाख रुपये अथवा उससे कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक द्वारा;

(बी) पांच लाख रुपये से अधिक किन्तु दस लाख रुपये से कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अपर निदेशक द्वारा;

(सी) दस लाख रुपये से अधिक किन्तु पचास लाख रुपये से कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक द्वारा;

(डी) पचास लाख रुपये अथवा उससे अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के उप विधि परामर्शदाता के साथ विशेष निदेशक द्वारा;

(ई) एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक राशि के उल्लंघन की स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक के साथ प्रवर्तन निदेशक द्वारा;

बशर्ते कि आगे ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि का परिमाण निर्धारित होने तक किसी भी उल्लंघन की कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

(2) उप धारा 1 में दी गई कोई भी बात उस उल्लंघन पर लागू नहीं होंगी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस दिनांक से तीन वर्ष के अंदर किया गया है और उस दिनांक को उसके द्वारा किए गए समान उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग इन नियमों के अधीन की गई थी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए पूर्व में किए गए उल्लंघन की कंपाउंडिंग के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए दूसरे या बाद के उल्लंघन को पहला उल्लंघन समझा जाएगा।

(3) इस नियम के उप नियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रवर्तन निदेशालय का प्रत्येक अधिकारी किसी भी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए अधिकार का प्रयोग प्रवर्तन निदेशालय के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन करेंगे।

(4) इस नियम के अंतर्गत किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए प्रत्येक आवेदन कंपाउंडिंग प्राधिकारी के पक्ष में 5,000/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के शुल्क के साथ फार्म में निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली को किया जाए।

6. जहां धारा 16 के अधीन उल्लंघन के न्याय निर्णयन के पूर्व किसी उल्लंघन की कंपाउंडिंग की जाती है तो ऐसे उल्लंघन के न्याय निर्णयन के लिए ऐसे उल्लंघन के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी जिसके उल्लंघन की इस तरह् कंपाउंडिंग की गई है।

7. जहां धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन शिकायत करने के बाद किसी उल्लंघन की कंपाउंडिंग की जाती है तो ऐसे कंपाउंडिंग की सूचना नियम 4 और 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक प्राधिकारी को लिखित रूप में दी जाए तथा उल्लंघन के कंपाउंडिंग की ऐसी सूचना देने पर उस व्यक्ति, जिसके संबंध में उल्लंघन की इस तरह् का कंपाउंडिंग किया गया है, को मुक्त कर दिया जाएगा।

8. कंपाउंडिंग करने की प्रक्रिया

(1) कंपाउंडिंग प्राधिकारी, कंपाउंडिंग प्रक्रिया से संबंधित कोई भी सूचना, रिकार्ड या संबंधित दस्तावेज की मांग कर सकता है।

(2) कंपाउंडिंग प्राधिकारी यथासंभव शीघ्रता से सभी संबंधितों की सुनवाई करने के बाद आवेदन की तारीख से अधिक से अधिक 180 दिनों के अंदर कंपाउंडिंग के आदेश जारी करेगा।

9. कंपाउंड की गई राशि का भुगतान

[3] नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन कंपाउंडिंग के आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उस राशि को जिसके लिए उल्लंघन का कंपाउंडिंग किया जाता है, ऐसे उल्लंघन के कंपाउंडिंग के आदेश की तारीख से 15 दिनों के अंदर कंपाउंडिंग प्राधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अदा की जाएगी।

10. उस नियम में विनिर्दिष्ट समय के अंदर नियम 9 के अनुसार कंपाउंडिंग की गई राशि का भुगतान करने में किसी व्यक्ति के चूक जाने के मामले में यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने इन नियमों के अंतर्गत किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया है तथा उल्लंघन के लिए अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होंगे।

11. यदि अपील अधिनियम की धारा 17 अथवा 19 के अधीन दायर(फाइल) की गई है तो उल्लंघन के लिए कोई कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

12. कंपाउंडिंग प्राधिकारी के आदेश की विषयवस्तु

(1) प्रत्येक आदेश में कथित उल्लंघन के ब्योरों के साथ अधिनियम के उन प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियम, निदेश अथवा शर्त अथवा आदेश को विनिर्दिष्ट करेंगे जिसके संबंध में उल्लंघन हुआ है।

(2) ऐसे प्रत्येक आदेश पर कंपाउंडिंग प्रधिकारी के हस्ताक्षर उसकी सील और दिनांक के साथ होंगे।

13. आदेश की प्रति

नियम 8(2) के अंतर्गत दिए गए आदेश की एक प्रति आवेदक और निर्णायक प्रधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दी जाएगी।

आवेदन का फार्मेट

फार्म

(नियम 4 अथवा 5 देखें)

(दो प्रतियों में भरा जाए और जारी किए गए ज्ञापन की
अधिप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाए।)

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. आवेदक का पूरा पता (फोन, फैक्स नंबर तथा ई-मेल आईडी के साथ)

3. क्या आवेदक भारत में अथवा भारत के बाहर निवास करता है

   [अधिनियम की धारा 2(v) देखें]

4. उस न्याय निर्णयन प्राधिकारी का नाम जिसके पास मामला विचाराधीन है

5. उल्लंघन का प्रकार [धारा 13 की उप-धारा (1) के अनुसार]

6. मामले के संक्षिप्त तथ्य

7. कंपाउंडिंग आवेदन के शुल्क के ब्योरे

8. मामले से संबंधित कोई अन्य सूचना

मैं / हम एतद्वारा यह घोषित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त दिए गए ब्योरे सही और तथ्यपरक हैं और मैं/हम मेरे/हमारे मामले की कंपाउंडिंग के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के निदेश/ आदेश को स्वीकार करने का/की/के इच्छुक हूं/हैं।

दिनांक: (आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम:------------

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- विदेशी निवेशक के बारे में संक्षिप्त विवरण
- निगमन की तारीख से आज (आवेदन) की तारीख तक आवेदक कंपनी द्वारा प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषणों के ब्योरे

टेबल ए

क्रम सं.	विप्रेषक का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये में)	प्राप्ति की तारीख	भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				

* भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख (और न कि प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट करने की तारीख)

टेबल बी

निवेशक का नाम	शेयरों के आबंटन की तारीख	आबंटित शेयरों की संख्या	राशि जिसके लिए शेयर आबंटित किये गये	भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				

* भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख (और न कि प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट करने की तारीख)

टेबल सी

क्रम सं.	विप्रेषक का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये में)	प्राप्ति की तारीख	अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि	शेयर आवेदन राशि वापस करने की तारीख	विदेशी मुद्रा में राशि	भा.रि.बैंक के अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख
		कुल					

टेबल डी

प्राधिकृत पूँजी

क्रम सं.	तारीख	प्राधिकृत पूँजी	निम्नलिखित तारीख से	बोर्ड की बैठक की तारीख	आरओसी के साथ फाइलिंग की तारीख

ए=बी+सी

कृपया समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करें

टेबल ए – एफआइआरसी की प्रतियां जिन पर भा.रि.बैंक में प्राप्ति की तारीख की मुहर हो

टेबल बी - एफसीजीपीआर की प्रतियां जिन पर भा.रि.बैंक में प्राप्ति की तारीख की मुहर हो

टेबल सी – शेयरों की वापसी/ आबंटन करने वाला पत्र – भा.रि.बैंक से प्राप्त अनुमोदन पत्र ए2 फार्म

- ❖ शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति और शेयरों के आबंटन की अवधि के तुलन पत्र की प्रतियां
- ❖ उल्लंघनों का स्वरूप तथा उल्लंघनों के कारण

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- विदेशी उधारदाता के बारे में संक्षिप्त ब्योरे
- क्या आवेदक पात्र उधारकर्ता है?
- क्या उधारदाता पात्र उधारदाता है?
- क्या उधारदाता ईक्विटी धारक है?
- ऋण करार के समय उनके शेयर होल्डिंग का स्तर क्या है?

- **बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे**

- ऋण करार की तारीख
- राशि विदेशी मुद्रा में और भारतीय रुपये में
- ब्याज दर
- ऋण की अवधि
- चुकौती के ब्योरे

आहरण द्वारा कमी की तारीख	विदेशी मुद्रा में राशि	भारतीय रु. में राशि

- **आहरण द्वारा कमी के ब्योरे**
- एलआरएन के ब्योरे – आवेदन पत्र और प्राप्ति (receipt)
- प्रस्तुत की गयी ईसीबी2 विवरणी के ब्योरे; रिटर्न की अवधि; प्रस्तुतीकरण की तारीख
- ईसीबी के विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में उपयोग के ब्योरे
- उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
- सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं

समुद्रपारीय निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- ❖ आवेदक का नाम
- ❖ निगमन की तरीख
- ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- ❖ समुद्रपारीय कंपनी का नाम
- ❖ समुद्रपारीय कंपनी के निगमन की तारीख
- ❖ समुद्रपारीय कंपनी द्वारा किये जाने वाले कार्य-कलापों का स्वरूप
- ❖ कंपनी का स्वरूप- पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम
- ❖ भेजे गये विप्रेषण के ब्योरे-विप्रेषण की तारीख;विदेशी मुद्रा में और भारतीय रुपये में राशि
- ❖ अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता के ब्योरे
- ❖ आवेदित और प्राप्त यूआइएन के ब्योरे
- ❖ शेयर प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख
- ❖ यदि आवश्यक हो तो अन्य विनियामक का अनुमोदन
- ❖ प्रस्तुत किय गए वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (APRs) के ब्योरे: -----को समाप्त अवधि के लिए; प्रस्तुतीकरण की तारीख
- ❖ उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
- ❖ सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं

भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- आवेदक का नाम
- निगमन की तारीख
- आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन की तारीख
- अनुमोदन की वैधता अवधि
- संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय की आय और व्यय
- वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तारीख
- उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
- सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं

संलग्नक III

इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा

Electronic Clearing Service(ECS)

प्राधिकार-पत्र – फार्म

Mandate Form

1. प्राप्तकर्ता(लाभार्थी) का नाम

   Name of the party(beneficiary)

2. बैंक खाते के ब्योरे

   Particulars of the bank account

   ए. बैंक का नाम

   Name of the bank

   बी. शाखा का नाम

   Name of the branch

   पता/Address:

   टेलीफोन नं./Telephone No.

   सी. 9 अंकों का MICR कोड नं.

   (बैंक द्वारा जारी चैक में जैसा दिखाई देता है)

   9 Digit MICR Code Number:

   (as appearing on the cheque issued by the bank)

   डी.IFSC कोड

   IFSC Code

   ई.खाते का प्रकार: बचत/चालू

   Type of account: Savings/Current

   एफ. खाता सं.

   (बैंक द्वारा जारी चैकबुक में जैसा दिखाई देता है)

   Account No.

   (as appearing on the cheque book issued by the bank)

(बैंक खाते के ब्योरों का सत्यापन करने के लिए कोरे चैक की फोटो-कापी संलग्न करें)

(Please attache photocopy of a blank cheque for verification of the bank account details)

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सही और पूरे हैं। यदि दी गयी सूचना अधूरी अथवा गलत होने के कारण लेनदेन में विलंब हुआ अथवा नहीं हुआ, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे।

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I/We would not hold the use institution responsible.

दिनांक:

Date:

प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ता के हस्ताक्षर

Signature of the Authorised Signatory

स्थान: (प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ता का नाम)

Place: (Name of the Authorised Signatory)

आधिकारिक/कार्यालयीन मुहर

Official Stamp

परिशिष्ट

इस मास्टर परिपत्र- फेमा,1999 के उल्लंघनों की कंपाउंडिंग में समेकित नियमों/ ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्रों की सूची

नियम क्रम सं.	नियम संख्या	तारीख
1	विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000	3 मई 2000
2	विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली,2002 (संशोधन)	2 नवंबर 2002
3	विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2004 (संशोधन)	13 सितंबर 2004
4	विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2004 (संशोधन)	27 अगस्त 2008

28 जून 2010 का ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 56

13 दिसंबर 2011 का ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 57

31 जुलाई 2012 का ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 11

17 जनवरी 2013 का ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 76

18 जनवरी 2013 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2012-13/1215

12 अगस्त 2013 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 20

---

[1]27 अगस्त 2008 के जीएसआर 613 (ई)

[2]13 सितंबर 2004 के जीएसआर 609 (ई)

[3]2 नवंबर 2002 के जीएसआर 443 (ई)